

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :- अनिल कुमार आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या -06/2012

बनाम

अपीलकर्ता

उत्तरदाता

1. श्रीमती दौलत कंवर पत्नि
बलवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी
रामसर तहसील रामसर।

बनाम


1. सारपंच ग्राम पंचायत रामसर।
2. रघुनाथ सिंह पत्र बलवन्त सिंह
3. छैलसिंह पुत्र बलवन्त सिंह
4. रामसिंह पुत्र भैरसिंह
5. लीलसिंह पुत्र भैरसिंह जाति राजपुत
निवासी रामसर तहसील रामसर।
6. तहसीलदार रामसर।
7. उप पंजीयक रामसर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
आदेश

दिनांक 18.03.2024


संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा रामसर पटवार हल्का रामसर तहसील रामसर के खसरा संख्या 2, 219, 225, 240 कुल रकबा 441.09 बीघा व मौजा रामसर आगौर पटवार मण्डल बबुगुलेरिया तहसील रामसर के खेत खसरा संख्या 119 रकबा 18.08 बीघा का खेत आया हुआ है। विवादित आराजी वक्त सेटलमेन्ट के समय अपीलाण्ट के ससुर सतीदानसिंह पुत्र पीरदानसिंह का 1/2 हिस्सा व भैरसिंह पुत्र पीरदानसिंह का 1/2 का कब्जा काश्त होने से सतीदानसिंह व भैरसिंह के नाम से पर्चा लगान जारी किया गया। अपीलाण्ट के पति बलवन्तसिंह का देहान्त उसके ससुर के देहान्त से 02 वर्ष पूर्व दिनांक 20.08.1977 को हो गया था तथा सतीदानसिंह का देहान्त दो वर्ष दिनांक 11.12.1979 को हुआ। सतीदानसिंह की फोट होने पर फौतगी का नामान्तकरण संख्या 207 दिनांक 10.02.1980 में स्वीकृत कर भरा गया जो उत्तरदाता गण संख्या 2 व 3 तथा गिरधरसिंह ने हल्का पटवारी व उत्तरदाता संख्या 1 से मिलकर मृतक सतीदानसिंह के वारिश मात्र उत्तरदाता संख्या 2 व 3 तथा गिरधरसिंह को बताकर नामान्तकरण करवा दिया बाद में गिरधरसिंह लाओलाद फोट होने से उत्तरदाता संख्या 2 व 3 के नाम नामान्तकरण संख्या 306 दिनांक 16.05.1990को पारित किया गया। अपीलाण्ट को नामान्तकरण संख्या 207 के संबध में कोई सूचना नहीं दी गई है जबकि अपीलाण्ट स्व. बलवन्त सिंह की विवाहित धर्मपत्नि है। वादग्रस्त भूमि में अपीलाण्ट का 17/46 में 1/4 हिस्सा तथा गिरधरसिंह फोट होने पर 1/3 हिस्सा पैतृक खातेदारी की है। इस कारण नामान्तकरण संख्या 207 दिनांक 10.02.1980 को निरस्त कर नये सिरे से उक्त खसरान के संबध में अपीलाण्ट का भूमि में पैतृक हक 17/46 हिस्से में दर्ज करने हेतु उक्त अपील दिनांक 02.11.2012 को दर्ज रजिस्टर की गई। उत्तरदातागण सम्मन तामिल बाद उपस्थित नहीं होने से एकपक्षीय कार्यवाही कर जवाब का अवसर बंद किया गया।

अपीलाण्ट के वकील की एक पक्षीय बहस सुनी गई। समस्त विधिक परिप्रेक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए अपीलकर्ता की अपील स्वीकार की जाकर मौजा रामसर पटवार हल्का रामसर तहसील रामसर के खसरा संख्या 2,219,225,240 कुल रकबा 441.09 बीघा व मौजा रामसर आगौर पटवार मण्डल बबुगुलेरिया तहसील रामसर के खेत खसरा संख्या 119 रकबा 18.08 बीघा में नामान्तकरण


उपखण्ड अधिकारी
रामसर


संख्या 207 दिनांक 10.02.1980, नामान्तरण संख्या 306 दिनांक 16.05.1990 तथा नामान्तरण संख्या 207 को अपास्त किया जाकर अपीलकर्ता का पेटुक हिस्सा 17/46 घोषित करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।


(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
उपखण्ड अधिकारी 18/3/24
रामसर

क्रमांक : रीडर / 2024 / 1082-85
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रामसर
2. सरपंच ग्राम पंचायत रामसर।
3. अपीलकर्ता श्रीमती दौलत कंवर पत्नि बलवन्तसिंह जाति राजपुत निवासी रामसर तहसील रामसर।
4. उत्तरदातागण रघुनाथ सिंह पत्र बलवन्त सिंह वगोराह।


उपखण्ड अधिकारी, रामसर
उपखण्ड अधिकारी
रामसर